Indian J. Soc. & Pol. 11 (01): 145-147 : 2024 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
(July-December 2023), 29 February 2024 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

'नई शिक्षा नीति 2020' में जेण्डर संवेदी शिक्षा का स्थान

रीना रानी आर्या[1], दीप्ति जौहरी[2]

[1]शोधार्थिनी, शिक्षाशास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली, उ0प्र0,भारत
[2]प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली, बरेली, उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

स्वतंत्रता के बाद बालिका शिक्षा को संबोधित करने वाले कई आयोग और समितियाँ स्थापित की गईं। प्रारंभ में सभी आयोग और समितियाँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग पाठ्यक्रम के पक्ष में थीं। लेकिन हंसा मेहता समिति (1964) के बाद अब तक लड़के और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम की सिफारिश की जा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 में लिंग संवेदनशील शिक्षा की स्थिति का पता लगाने का प्रयास करेगा।

KEYWORDS: *आयोग, समितियाँ, बालिका शिक्षा, लिंग संवेदनशील शिक्षा।*

राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। बेहतर शिक्षा सरकार द्वारा बनाई गई शैक्षिक नीतियों और समयानुसार उनमें होने वाले बदलावों पर निर्भर करती हैं। भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में मनुष्य लैंगिक आधार पर दो भागों में विभक्त है–'स्त्री' और 'पुरुष'। स्त्री और पुरुष दोनों के बीच कार्य क्षेत्र और स्थिति को लेकर असमानता व्याप्त है। 'जेण्डर' असमानता को मिटाने हेतु जेण्डर संवेदी शिक्षा की आवश्यकता है, जो जेण्डर समानता को स्थापित करने में सहायक होगी।

जेण्डर, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्त्री और पुरुष को दी गई परिभाषा है जिसके माध्यम से उन्हें भूमिका प्रदान की जाती है। जेण्डर का प्रश्न अस्मिता के प्रश्न से उभरता है जो स्त्री को स्त्री के दृष्टिकोण से देखने की बात करता है। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक और महत्वपूर्ण है फिरभी भारत में स्त्री शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। सामान्य तौर पर स्त्री शिक्षा और जेण्डर संवेदी शिक्षा को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है जोकि पूर्णतः गलत है। स्त्री शिक्षा में केवल लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और उनको प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक अवसरों को शामिल किया जाता है। जिसके विपरीत जेण्डर संवेदी शिक्षा ने स्त्री पुरुष को समान शिक्षा देने हेतु समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की बात कही जाती है। देखा जाए तो जेण्डर संवेदी शिक्षा और स्त्री शिक्षा एक दूसरे से संबन्धित हैं, यह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।

जेण्डर संवेदी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात करता है जिसमें स्त्री–पुरुष के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो, समान साहित्यिक–सांस्कृतिक व समाज–सेवा का आयोजन हो, समान खेलकूद की व्यवस्था हो। साथ ही शिक्षा और शिक्षण की व्यवस्था पर लिंग का प्रभाव न हो। समयानुसार जेण्डर संवेदी शिक्षा के प्रति जागरूकता और रूढ़िगत विचारों से ऊपर उठकर जेण्डर समानता का प्रचार व प्रसार आवश्यक है। तभी पुरुषवादी सामाजिक व्यवस्था में लोग स्त्री शिक्षा पर होने वाले व्यय को अपव्यय मानना बन्द करेंगे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसी समितियों एवं आयोगो का गठन किया गया जिन्होंने महिला शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु अपने सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए।

विभिन्न आयोग एवं जेण्डर संवेदी शिक्षा– स्वतन्त्र भारत में गठित प्रथम आयोग 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)' के अध्यक्ष डॉ राधा कृष्णनन ने उच्च शिक्षा में सुधार के साथ–साथ स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया। बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने बालिकाओं के लिए अलग बालिका विद्यालयों की स्थापना करने एवं उनमें महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति करने की संस्तुति की। आयोग ने बालिकाओं हेतु गृह विज्ञान, गृह व्यवस्था, संगीत व नृत्य संबन्धी पाठ्यक्रम का समर्थन किया।

''माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)'' ने भी बालिकाओं हेतु गृह विज्ञान विषय को आवश्यक बताते हुए पाठ्यक्रम में शामिल किया। दोनों आयोगो का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को कुशल गृहणी और सुमाता बनना था। लेकिन यह आयोग बालिका एवं महिला शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा पाए। फलस्वरूप बालिका शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो पाया। (राम, 2020)।

महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958–59) का गठन किया गया। जिन्होंने स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दिए। समिति ने केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बालिका एवं स्त्री शिक्षा की परिषदों का निर्माण करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु सरलीकृत अनुदान की व्यवस्था करने, बालिकाओं हेतु पृथक विद्यालयों का निर्माण करने व छात्रावासों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने का प्रस्ताव दिया। जिससे बालक एवं बालिका शिक्षा में व्याप्त विषमता जल्द से जल्द समाप्त हो जाए परन्तु ऐसा नहीं हो पाया। अनेक प्रयासों के बाद भी बालिका शिक्षा

1: Corresponding Author

के विभिन्न स्तरों में सुधार करने में दुर्गाबाई समिति सफल नहीं हो पाई। (राम, 2020)।

1960 तक लड़कियों एवं लड़कों हेतु भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी फिर ''हंसा मेहता समिति (1964)'' की अध्यक्ष हंसा मेहता ने लड़कों और लड़कियों के लिए भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रम को गलत मानते हुए गृहविज्ञान विषय को स्वैच्छिक विषय के रूप में लागू किया। समिति ने कहा कि संगीत, कला विषयों के साथ–साथ तार्किक विषयों जैसे गणित, विज्ञान को पढ़ने हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए। तत्कालीन स्वतन्त्र भारत में गठित समिति एवं आयोग का शिक्षा के सभी पक्षों से सबन्ध नहीं रहा था। इसीलिए ऐसे आयोग की आवश्यकता महसूस की गई जो संपूर्ण एवं समग्र रूप से शिक्षा व्यवस्था पर सुझाव प्रस्तुत करे।

इसी विचाार को ध्यान में रखते हुए डॉ दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ''शिक्षा आयोग (1964–66)'' का गठन किया गया। जिसने स्त्रियों व पुरुषों की शिक्षा के विशाल अन्तर को समाप्त करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण करने का सुझाव दिया। आयोग ने महिला शिक्षा को आवश्यक माना परन्तु मातृत्व के आगे कैरियर विकल्पों को सीमित कर दिया। शिक्षा आयोग के अनुसार– ''हमारे मानव संसाधनों के पूर्ण विकास, परिवार की उन्नति एवं शैशवावस्था के वर्षों के अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों से अधिक है।'' बालिका नामांकन बढाने, अपव्यय व अवरोधन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए, पाठ्यक्रम को बालिकाओं की रुचि के अनुकूल बनाने हेतु आयोग ने सुझाव दिए। इस आयोग ने बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने की संस्तुति भी की। परन्तु आयोग ने भावी पत्नी एवं माता की भूमिका का उचित प्रकार निर्वाह करने के लिए ही स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना।

इसलिए एक दिशाहीन शिक्षा प्रणाली को दिशा देने हेतु 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)' का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सेवा और विकास के लिए संकल्परत, चरित्रवान एवं योग्य युवक–युवतियों का निर्माण करना था। जिसके लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के अन्तर्गत ही महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया। महत्वपूर्ण सुझाव देने के बावजूद महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं आया जिस कारण देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शिक्षा के पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्गठन के लिए भारत में मई 1986 में ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)'' को लागू किया जो अब तक चल रही है। (डॉ अमित कुमार 2020) शिक्षा की भूमिका एवं सार रूप के बारे में इस नीति में कहा गया है कि शिक्षा सभी के लिए जरुरी है। शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने आप में एक अद्वितीय निवेश है। इस नीति का मूल मंत्र– ''एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना जेण्डर भेदभाव के एक समान शिक्षा उपलब्ध हो'' है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने वाला साधन कहा गया। इसके अनुसार महिलाओं में साक्षरता के प्रसार को एवं उन व्यवधानों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियाँ प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी कहा गया कि इस कार्य हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर उनके कार्यान्वयन पर नजर रखी जाएगी। साथ ही स्त्रियों से संबन्धित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्चाओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस कार्य को सामाजिक पुनर्रचना का अंग मानते हुए पूर्णकृत संकल्प के साथ किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर जोर दिया जाएगा ताकि पारम्परिक रवैयों के कारण चले आ रहे जेण्डर आधारित असमानता, जेण्डर स्टीरियोटाइप को खत्म किया जा सके। इस प्रकार गैर परम्परागत आधुनिक काम–धन्धों और मौजूदा नई प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव करे। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्ष 1992 में संशोधन किया गया। यही शिक्षा नीति अभी तक चली आ रही भी।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) को तैयार करने के लिए बड़ी परामर्श प्रकिया का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे। प्राप्त सुधारों एवं शिक्षाविदों के अनुभव तथा के0 कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जबावदेही के मुख्य स्तंभ पर निर्मित यह नीति सतत् विकास के लिए अनुकूल है।

नई शिक्षा नीति (2020), 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी मार्ग प्रशस्त करना है ताकि भारत वैश्विक ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बन सके। नई शिक्षा नीति भारतीय परम्पराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बनाकर शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन आदि सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित वर्ग हेतु शिक्षा समानता एवं गतिशीलता प्राप्त करने का माध्यम है।

शिक्षा नीति (2020) में जेण्डर संवेदी शिक्षा को सीधे तौर पर शामिल न करके जेण्डर मुद्दों को नीति में सम्मिलित किया गया है। जिसमें लड़कियों की नामांकन संख्या में गिरावट आने के कारणों को पहचानना और उन्हें हल करना। (6.2, भाग–1, अध्याय–6) सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों को जेण्डर, भौगोलिक व सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में स्कूलों में कक्षा एक से लेकर 12वीं तक नामांकन लगातार घट रहा है। यह गिरावट सामाजिक, आर्थिक विशेषकर स्त्री विद्याार्थियों के संदर्भ में और अधिक स्पष्ट है। (6.2.3, भाग–1, अध्याय–6)

नामांकन मे जेण्डर विभेद को दूर करने के लिए नीति में लक्षित छात्रवृत्ति, छात्राओं को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित

करने हेतु सशर्त नकद हस्तानान्तरण परिवहन के लिए साइकिल देना जैसी सफल नीतियों व योजनाओं को शामिल किया गया है। (6.4 भाग–1, अध्याय–6)। भारत सरकार ने लड़कियों और ट्रान्सजेण्डर छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक 'जेण्डर समावेशी शिक्षा निधि' का गठन करने का प्रस्ताव दिया है। (6.8, भाग–1, अध्याय–6)। स्त्रियों एवं ट्रान्सजेण्डर छात्रों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे–स्वच्छता व शौचालय सम्बन्धित सुविधाएँ, पीने का पानी, सुरक्षा आदि शामिल है। यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को बड़े स्तर तक पहुँचाने एवं प्रभावी बनाने में सक्षम बनाएगा।

नई शिक्षा नीति के अनुसार ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक पहुँचना दुर्गम होता है वहाँ निःशुल्क छात्रावासों में सभी बच्चों विशेषकर लड़कियों की उपयुक्त सुरक्षा की जाएगी। कस्तूरवा गाँधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत एवं विस्तारित किया जाएगा। (6. 9, भाग–1, अध्याय–6)। सम्मान, समानता और संवेदनशीलता विकसित करने हेतु स्कूली पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों, सम्मान, सहानूभुति, अधिकार, जेण्डर समानता, समावेशन आदि शामिल किए गए (6.20, भाग–1, अध्याय–6) नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा प्रणाली में भी जेण्डर समानता को विकसित करने हेतु प्रस्ताव दिए गए हैं–उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रकिया मे ंजेण्डर संतुलन को बढावा देना (14.4 भाग 2, अध्याय–14) पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलूओं द्वारा शिक्षण प्रकिया व व्यवस्था में शामिल सदस्यों को, जेण्डर और जेण्डर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों हेतु भेदभाव और उत्पीडन के खिलाफ बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करना।

उपसंहार

भारत की स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन एवं परिमार्जन हेतु देश में चिन्तन शुरु हुआ और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आयोगो एवं समितियों का गठन किया गया। वैसे तो सभी आयोगो एवं समितियों ने लड़कियों की शिक्षा हेतु अनेक सुझाव दिए परन्तु सर्वप्रथम हंसा मेहता समिति ने लड़कियों एवं लड़कों के पाठ्यक्रम को समान रूप से लागू करने का प्रयास किया। हंसा मेहता समिति ने जेण्डर समानता की बात की वह लड़कियों को केवल सफल गृहणी या माता ही नहीं बनाना चाहती थी बल्कि उन्हें शिक्षित करके जन सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहती थी। भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों मे ंजेण्डर और सामाजिक श्रेणियों के अन्तर को कम करने का निरन्तर प्रयास किया है। किन्तु जेण्डर असमानता आज भी समाज में विद्यमान है। नई शिक्षा नीति (2020) मे ंजेण्डर संवेदनशीलता विकसित करने की बात कही गई है परन्तु इस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाएगा इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। नीति में प्रस्तुत सुझाव व उपाय सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचितों विशेषकर महिलाओं के लिए पूर्ण समावेश और समानता प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण तो है परन्तु पर्याप्त नहीं है।

REFERENCES

राम, .आर.के. (2020): स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की उन्नति या अवनति :एक अध्ययन, *इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च* ,9(**10**),पृ0 50–51

कुमार, ए. (2020) *कन्टेम्परौरी इण्डिया एण्ड एजुकेशन, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी,* 1986 Retrieved from: https: bpspbed college.in/wp-content/uploads/2020/05/NPE 1986. Pdf Accessed on 24/8/2022

डॉ. जे. इवांगेलिन शीला बेल, (2019) भारत में स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा पर आयोग और समितियाँ, *प्रमाण रिसर्च जर्नल,* 9(**5**), 1185–1190

डॉ. के.वी. (2017)रू भारत में नारी शिक्षा की स्थिति, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, एण्ड टेक्नांलाजी,* 3(**5**), पृ0 768–775

लाल. रमन बिहारी (2017–18) *शिक्षा के दर्शन एवं सामाजिक आधार,* मेरठ, आर. लाल बुक डिपो, पृष्ठ 581–598

त्यागी, गुरुसरन दास (2014–15) *भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास,* आगरा, अग्रवाल प्रकाशन पृष्ठ संख्या 112–188

जौहरी, दीप्ति (2017) *लिंग, स्कूल तथा समाज,* मेरठ, आर. लाल डिपो पृष्ठ संख्या 103–108